e-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संoसंo– 17/सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95/2019..........2740..........

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

**समाहर्त्ता,**
किशनगंज/सहरसा/कटिहार/बेगूसराय/खगड़िया/
लखीसराय/जहानाबाद/शेखपुरा/अररिया/पूर्णियाँ/
सीतामढ़ी/सुपौल/मधेपुरा/प0 चम्पारण/जमुई/मुंगेर
/नालंदा/शिवहर/बांका/अरवल

पटना, दिनांक :– 1/10/2022

विषय :– विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम अन्तर्गत अंचल अधिकारी के स्तर से किए जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगाधीन पत्रों को संलग्न करते हुए स्पष्ट करना है कि राज्य में संचालित विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम है एवं सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय भी है। इस कार्यक्रम अन्तर्गत तैयार किए जाने वाले नए अधिकार अभिलेख (खतियान) एवं मानचित्र को त्रुटिरहित बनाने तथा सरकार के स्वामित्व वाली विभिन्न प्रकार की भूमियों, बन्दोबस्त की गई भूमि इत्यादि के स्वामित्व को उपलब्ध साक्ष्यों एवं वर्त्तमान दखल के आलोक में स्पष्ट रूप से नए खतियान में प्रविष्ट करने के लिए यह आवश्यक है कि अंचल कार्यालय के स्तर से आवश्यक सहयोग एवं सभी प्रकार के कागजातों को विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को उपलब्ध कराया जाए। विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य अन्तर्गत अंचल अधिकारियों के स्तर से किए जाने वाले कार्यों का निम्नरूपेण बिन्दुओं से भी स्पष्ट हुआ जा सकता है:–

(i) अंचल स्तर से जमाबन्दी पंजी की प्रति, सरकारी एवं बन्दोबस्त की गई भूमि की विवरणी, सैरात से सम्बन्धित भूमि की विवरणी इत्यादि को प्रपत्र–6 (नई खेसरा पंजी) के निर्माण पूर्व विशेष सर्वेक्षण शिविरों को उपलब्ध कराना।

(ii) भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक–4166 दिनांक–12.11.2021 द्वारा दिए गए यूजर आई0 डी0 एवं पासवर्ड की सहायता से विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया के क्रम में बनाए गए प्रपत्र–5 (खतियानी विवरणी) एवं प्रपत्र–6 खेसरा पंजी का अवलोकन एवं आवश्यकतानुसार विगत् खतियान में प्रविष्ट सरकारी भूमि के वर्त्तमान समय में हुए रैयतीकरण की स्थिति में आवश्यक कार्रवाई करना उल्लेखनीय है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा–21 के आलोक में लोक भूमि अथवा उसके अंश के सम्बन्ध में सरकार एक अनिवार्य पक्षकार है और इस परिप्रेक्ष्य में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य में सुनवाई की प्रक्रिया में अंचल अधिकारी द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत कर्मी की उपस्थिति अनिवार्य है ताकि लोक भूमि का स्वामित्व रैयत के नाम पर निर्धारित न हो और सरकारी भूमि का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

(iii) अवैध जमाबंदी के रद्दीकरण का प्रस्ताव समर्पित करना एवं यह प्रमाण–पत्र देना कि अवैध जमाबंदी रद्दीकरण का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(iv) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल के क्षेत्रों में पड़ने वाले पुलिस थाना के साथ समन्वय स्थापित कर पंचायत सरकार भवनों/ग्रामों में अवस्थित विशेष सर्वेक्षण शिविरों को आवश्यक आधारभूत सुविधाएँ एवं सुरक्षा उपलब्ध कराना।

(v) क्षेत्र भ्रमण के क्रम में विशेष सर्वेक्षण शिविरों में सुरक्षा एवं सुविधाओं के सम्बन्ध में आनेवाली समस्याओं को दूर करना एवं अंचल स्तर से विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त के सम्बन्ध में किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा करना।

उपर्युक्त कंडिकाओं में कंडिका (ii) में वर्णित सरकारी भूमि के संरक्षण हेतु प्रपत्र–5 एवं 6 का अवलोकन कर कार्रवाई करने के सम्बन्ध में निदेशालय के पत्रांक–2056 दिनांक–22.08.2022 द्वारा बिहार विशेष सर्वेक्षण अन्तर्गत सरकारी भूमि के रैयती हो जाने की दशा में उत्तरदायित्त्व का निर्धारण एवं कार्रवाई के सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया है।

उक्त के आलोक में यह भी स्पष्ट करना है कि जिला स्तर पर अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में हुई विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की समीक्षात्मक बैठकों में यह स्पष्ट हुआ है कि किसी भी अंचल अधिकारी द्वारा सरकारी भूमि के संरक्षण के लिए प्रपत्र–5 एवं प्रपत्र–6 का अवलोकन नहीं किया जा रहा है और न ही विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की प्रक्रिया में विशेष सर्वेक्षण स0ब0पदा0 के स्तर से सरकारी भूमि के सम्बन्ध में की जाने वाली सुनवाई की प्रक्रिया में अंचल स्तरीय उपस्थिति को सुनिश्चित किया जाए। यद्यपि कि कुछ अंचल अधिकारियों द्वारा जमाबन्दी पंजी एवं सरकारी तथा बन्दोबस्त की गई भूमि के विवरण विशेष सर्वेक्षण शिविरों को उपलब्ध कराए गए हैं, किन्तु संपूर्णता में इस कार्य का निष्पादन नहीं किया जा रहा है।

अतः उक्त के आलोक में अनुरोध है कि विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम को सफल बनाने तथा सम्पूर्ण प्रक्रिया में सरकारी भूमि के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए अंचल अधिकारियों को आवश्यक निदेश देने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

(जय सिंह) 1/10/22
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

**ज्ञापांक : 17/सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95/2019** 2740 **पटना, दिनांकः** 1/10/2022

**प्रतिलिपिः–** समाहर्त्ता, पटना/मुजफ्फरपुर/गया/भागलपुर/भोजपुर/सारण/दरभंगा/औरंगाबाद/कैमूर/बक्सर/वैशाली/रोहतास/पूर्वी चम्पारण/मधुबनी/समस्तीपुर/सिवान/गोपालगंज/नवादा सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

**निदेशक**
भू–अभिलेख एवं परिमाप

**ज्ञापांक : 17/सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95/2019** 2740 **पटना, दिनांकः** 1/10/2022

**प्रतिलिपिः–** बन्दोबस्त पदाधिकारी, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), बेगूसराय/खगड़िया/लखीसराय/जहानाबाद/अररिया/पूर्णियाँ/सीतामढ़ी/सुपौल/मधेपुरा/प0चम्पारण/जमुई/मुंगेर/नालंदा/शिवहर/बांका/अरवल/शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

**निदेशक**
भू–अभिलेख एवं परिमाप

**ज्ञापांक : 17/सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95/2019** 2740 **पटना, दिनांकः** 1/10/2022

**प्रतिलिपिः–** अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), बेगूसराय/खगड़िया/लखीसराय/जहानाबाद/किशनगंज/अररिया/कटिहार/पूर्णियाँ/सीतामढ़ी/सुपौल/सहरसा/मधेपुरा/प0चम्पारण/जमुई/मुंगेर/नालंदा/शिवहर/बांका/अरवल/शेखपुरा/पटना/मुजफ्फरपुर/गया/भागलपुर/भोजपुर/सारण/दरभंगा/औरंगाबाद/कैमूर/बक्सर/वैशाली/रोहतास/पूर्वी चम्पारण/ मधुबनी/ समस्तीपुर / सिवान/गोपालगंज/नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

**निदेशक**
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Sanjeev-2022\Birendra kumar Aso\director file\no-95_2019_27.09.2022.doc

ज्ञापांक : 17 / सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95 / 2019....2340....पटना, दिनांकः....1/10/2022

**प्रतिलिपिः–** प्रशाखा पदाधिकारी / सहायक निदेशक / प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग शाखा / सभी जिलों के नोडल पदाधिकारी / प्रभारी, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

**निदेशक**
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17 / सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95 / 2019....2340....पटना, दिनांकः....1/10/2022

**प्रतिलिपिः–** श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

**निदेशक**
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17 / सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95 / 2019......2740......पटना, दिनांकः......1/10/2022

**प्रतिलिपिः–** प्रशाखा पदाधिकारी / सहायक निदेशक / प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग शाखा / सभी जिलों के नोडल पदाधिकारी / प्रभारी, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

**निदेशक**
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17 / सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95 / 2019......2740......पटना, दिनांकः......1/10/2022

**प्रतिलिपिः–** श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

**निदेशक**
भू–अभिलेख एवं परिमाप